"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, RAS

प्रकरण संख्याः 232/2022

उनवान

(1) देवीलाल पुत्र मनजी, जाति कलाल, निवासी परतापुर,तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(2) श्रीमती शारदा देवी पत्नी बंसीलाल, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(3) जितेन्द्र पुत्र बंसीलाल, जाति कलाल,, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

(1) अम्बालाल पुत्र शंकर, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(2) डायालाल पुत्र शंकर, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) हिरालाल पुत्र शंकर, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(4) गणेशलाल पुत्र नाथु, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(5) हिरालाल पुत्र नाथु, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(6) विरेश पुत्र शंकर, जाति कलाल, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(7) विपिन पुत्र शंकर, जाति कलाल, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(8) संजय पुत्र बंसीलाल, जाति कलाल, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(9) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 आर. टी. एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांकः 14.5.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी नम्बर 1 के पिता वादी नम्बर 2 के ससुर व वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 6, 7 व 8 के दादा स्व. मनजी पुत्र कुरिया, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा के संयुक्त खाते व कब्जे की भूमि जिसका पुराना सर्वे नम्बर 211 रकबा 3 बिस्वा व सर्वे नम्बर 212 रकबा 18 बिस्वा, संवत 2030 में, वाके ग्राम भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा में स्थित था। स्व. मनजी के साथ अन्य खातेदार शंकर पिता वेलजी व नाथु पिता जगन्नाथ व वेलजी पिता कल्याणजी, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा के नाम संयुक्त रुप से खाता दर्ज रेकॉर्ड था। स्व. मनजी, स्व. शंकर, स्व. नाथु, स्व. वेलजी के नाम संयुक्त खाते के रुप में दर्ज रेकॉर्ड था एवं संवत 2030 में खाते में सभी खातेदारों की जाति सही दर्ज रेकार्ड थी जिसमें स्व. मनजी एकमात्र कलाल जाति का था व शेष खातेदार लोहार जाति के थे। परन्तु संवत 2032 में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सहखातेदार मनजी पुत्र कुरिया की जाति कलाल के स्थान पर लोहार दर्ज कर दी गई है एवं यह राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण सेहवन से दर्ज कर दी गई है, क्योंकि अन्य तीन खातेदार शंकर, नाथु, वेलजी लोहार जाति के थे, इसलिये राजस्व कर्मचारियों ने सेहवन से खाते में मनजी पुत्र कुरिया को भी जाति के स्थान पर लोहार अंकित कर दिया जो कि गल। है एवं जो कि आज तक मनजी की जाति लोहार के रुप में ही अंकित की जा रही है। उक्त बताये मुल चारों खातेदार जो कि संवत 2030 [illegible] रेकार्ड थे उनकी मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक मनजी पुत्र कुरिया खातेदार के [illegible] पुत्र [illegible] जिसमें शंकर, देवीलाल, बंसीलाल जिसमें शंकर व बंसीलाल की मृत्यु हो चुकी है एवं शंकर के [illegible] व पुत्र प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 है जो वर्तमान में वादीगण के साथ वाद [illegible] के लिये साथ नही होने से उन्हे प्रतिवादीगण की श्रेणी में रखा गया है एवं स्व. मनजी का एक अन्य पुत्र वादी नम्बर 1 देवीलाल है एवं स्व. मनजी के एक अन्य पुत्र बंसीलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके उत्तराधिकारी व वारिस वादी नं. 2 श्रीमती शारदा देवी व वादी नम्बर 3 जितेन्द्र है एवं प्रतिवादी संख्या 8 संजय है जो कि वर्तमान में वाद पत्र पेश करने के लिये साथ नही होने से उन्हें प्रतिवादीगण की श्रेणी में रखा गया है। उक्त खाते के अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

खातेदार शंकर पिता वेलजी, जाति लोहार की भी मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक मूल खातेदार शंकर के प्रतिवादी सं. 1 से 3 वारिस व उत्तराधिकारी होने से उनका नाम खाते में दर्ज रेकार्ड किया गया है एवं अन्य सहखातेदार नाथु पिता रुगनाथ की भी मृत्यु हो चुकी है एवं उसके मृत्यु के बाद उसके वारिसानों का नाम खाते में दर्ज रेकॉर्ड नही हुआ है एवं प्रतिवादी नं. 4 व 5 स्व. नाथु पिता रुगनाथ के वारिस होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया है एवं खाते के अन्य खातेदार वेलजी पिता कल्याणजी की मृत्यु हो चुकी है एवं उसका एकमात्र पुत्र सहखातेदार शंकर पुत्र वेलजी, जाति लोहार है जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 स्व. शंकर के वारिस है। सेटलमेंट के दौरान उक्त पुराने सर्वे नम्बर के नये सर्वे नम्बर निम्नानुसार बने है:–

क्र.स.	पुराने सर्वे नं.	नये सर्वे नम्बर	रकबा
	211	49	0.04
	212	52 63	0.09 0.02
		कुल खेत 3	कुल रकबा 0.15

वर्तमान खाता संवत 2075 से 2078 में उक्त नये सर्वे नम्बर 49 रकबा 0.04, सर्वे नम्बर 52 रकबा 0.09, सर्वे नम्बर 63 रकबा 0.02, कुल खेत–3, कुल रकबा–0.15 व खातेदार के रुप में प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व स्व. शंकर पुत्र वेलजी के वारिस व उत्तराधिकारी होने से उनका खाते में नाम दर्ज रेकॉर्ड हुआ है एवं शेष पुराने खातेदार नाथु पुत्र जगन्नाथ, मनजी पुत्र कुरिया, वेलजी पुत्र कल्याणजी की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु उनके उक्त बताये वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त मूल खातेदार मृतकों के वारिस व उत्तराधिकारी है, परन्तु उनका नाम खाते में दर्ज रेकॉर्ड नही हुआ है। वादीगण ने अपने स्वयं का नाम व प्रतिवादी सं. 6, 7 व 8 का नाम मूल खातेदार मनजी पुत्र कुरिया, जाति कलाल की मृत्यु होने से अपना खाते में नाम दर्ज रेकार्ड कराने का प्रार्थना पत्र राजस्व कर्मचारी व श्री तहसीलदार साहब के यहां पेश किया एवं साथ में अपने आधार कार्ड व जाति संबंधी प्रमाण–पत्र पेश किये तो श्री तहसीलदार साहब ने कहां कि, तुम्हारे आधार कार्ड में जाति कलाल लिखी है व वर्तमान खाते में स्व. मनजी की जाति लोहार लिखी है, इसलिये आपको जाति में शुद्धिकरण के लिये श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब के यहां दावा करके जहां वर्तमान खाते में स्व. मनजी पुत्र कुरिया जाति लोहार लिखा है, उस स्थान पर लोहार के स्थान पर कलाल अंकित कराने के लिये दावा अथवा प्रार्थना पत्र पेश करना पडेगा एवं वही जाति में शुद्धिकरण करेंगे तभी तुम्हारा नाम खाते में दर्ज रेकॉर्ड होगा। इसलिये वादीगण को आप न्यायालय में वर्तमान खाते में जहां खातेदार मनजी की जाति के स्थान पर लोहार सेहवन से अंकित हो गया है उसकी जगह कलाल अंकित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र/वाद पत्र आप न्यायालय में पेश करनी की आवश्यकता हुई है। क्योकि राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि व सेहवन से मूल खातेदार मनजी की जाति कलाल के स्थान पर सेहवन से लोहार दर्ज कर दी गई है एवं स्व. मनजी के वारिसान कलाल होने से एवं खातेदारी रेकॉर्ड में जाति का मिलान नही होने से वादीगण व प्रतिवादी सं. 6, 7 व 8 के नाम खाते [illegible] नही हो [illegible] वादीगण को यह प्रार्थना पत्र/वाद पत्र आप न्यायालय में पेश करनी की आवश्यक[illegible]ई है [illegible] खाते में जहां वर्तमान में मनजी पुत्र कुरिया के नाम से खाता [illegible] है एवं जिसकी [illegible] हो चुकी है एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 6, 7 व 8 स्व. मनजी के उत्तराधिकारी व वारिस हो[illegible] मनजी के स्थान पर अपने नाम खाता दर्ज कराने व अपने [illegible] करने व जहां जाति लोहार अंकित है वहां कलाल अंकित कराने हेतु यह वाद वादीगण का यह प्रार्थना पत्र/वाद पत्र आप न्यायालय में पेश करनी की आवश्यकता हुई है। इस हेतु दावा हस्ब धारा 88 रा.का.अ. एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर दौराने कार्यवाही प्रतिवादीगण की ओर से श्री पवन लुहार, अभिभावक का वकालातनामा पेश होकर हमराह पक्षकारान् राजीनामा पेश हुआ।

पत्रावली में प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख तथा पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवार हल्का भगोरा के मौजा भगोरा के पुराने सर्वे नम्बर 211 रकबा 3 बिस्वा व सर्वे नम्बर 212 रकबा 18 बिस्वा, संवत 2030 में, वाके ग्राम भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा में स्थित था। स्व. मनजी के साथ अन्य खातेदार शंकर पिता वेलजी व नाथु पिता जगन्नाथ व वेलजी पिता कल्याणजी, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा के नाम संयुक्त रुप से खाता दर्ज रेकॉर्ड था। स्व. मनजी, स्व. शंकर, स्व. नाथु, स्व. वेलजी के नाम संयुक्त खाते के रुप में दर्ज रेकॉर्ड था एवं संवत 2030 में खाते में सभी खातेदारों की जाति सही दर्ज रेकार्ड थी जिसमें स्व. मनजी एकमात्र कलाल जाति का था व शेष खातेदार लोहार जाति के थे। परन्तु संवत 2032 में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सहखातेदार मनजी पुत्र कुरिया की जाति कलाल के स्थान पर लोहार दर्ज कर दी गई है एवं यह राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण सेहवन से दर्ज कर दी गई है, क्योंकि अन्य तीन खातेदार शंकर, नाथु, वेलजी लोहार जाति के थे, इसलिये राजस्व कर्मचारियों ने सेहवन से खाते में मनजी पुत्र कुरिया को भी जाति के स्थान पर लोहार अंकित कर दिया जो कि गल। है एवं जो कि आज तक मनजी की जाति लोहार के रुप में ही अंकित की जा रही है। उक्त बताये मुल चारों खातेदार जो कि संवत 2030 व 2032 में दर्ज रेकार्ड थे उनकी मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक मनजी पुत्र कुरिया खातेदार के तीन पुत्र थे जिसमें शंकर, देवीलाल, बंसीलाल जिसमें शंकर व बंसीलाल की मृत्यु हो चुकी है एवं शंकर के वारिस व पुत्र प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 है जो वर्तमान में वादीगण के साथ वाद पत्र पेश करने के लिये साथ नही होने से उन्हे प्रतिवादीगण की श्रेणी में रखा गया है एवं स्व. मनजी का एक अन्य पुत्र वादी नम्बर 1 देवीलाल है एवं स्व. मनजी के एक अन्य पुत्र बंसीलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके उत्तराधिकारी व वारिस वादी नं. 2 श्रीमती शारदा देवी व वादी नम्बर 3 जितेन्द्र है एवं प्रतिवादी संख्या 8 संजय है।

अतः पटवार हल्का भगोरा के मौजा भगोरा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 484 (नई) 467 (पुरानी) के खातेदार मनजी पुत्र कुरीया हिस्सा 1/4 जाति लोहार में जाति लोहार के स्थान पर कलाल बाकि बदस्तुतर दर्ज किया जाकर स्व0 श्री मनजी व उनके वारिस पुत्र शंकरलाल व बन्सीलाल के फोत हो जाने से नियमानुसार मृत्यु प्रमाण–पत्र/वंशावली प्राप्त कर नामान्तरकरण करने एंव बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का भगोरा के मौजा भगोरा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 484 (नई) 467 (पुरानी) के खातेदार मनजी पुत्र कुरीया हिस्सा 1/4 जाति लोहार में लोहार के स्थान पर कलाल बाकि बदस्तुतर दर्ज किया जाकर स्व0 श्री मनजी व उनके वारिस पुत्र शंकरलाल व बन्सीलाल के फोत हो जाने से नियमानुसार मृत्यु प्रमाण–पत्र/वंशावली प्राप्त कर नामान्तरकरण करने एंव बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 232 / 2022

<u>उनवान</u>

(1) देवीलाल पुत्र मनजी, जाति कलाल, निवासी परतापुर,तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(2) श्रीमती शारदा देवी पत्नी बंसीलाल, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(3) जितेन्द्र पुत्र बंसीलाल, जाति कलाल,, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

<u>बनाम</u>

(1) अम्बालाल पुत्र शंकर, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(2) छगनलाल पुत्र शंकर, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील, गढ़ी जिला बाँसवाड़ा।
(3) हिरालाल पुत्र शंकर, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(4) गणेशलाल पुत्र नाथु, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(5) हिरालाल पुत्र नाथु, जाति लोहार, जाति लोहार, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(6) दिनेश पुत्र शंकर, जाति कलाल, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(7) विपिन पुत्र शंकर, जाति कलाल, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(8) संजय पुत्र बंसीलाल, जाति कलाल, जाति कलाल, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(9) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 आर. टी. एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 14.5 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पटवार हल्का मनोरा के मौजा मनोरा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 484 (नई) 467 (पुरानी) के खातेदार मनजी पुत्र कुरीया हिस्सा 1/4 जाति लोहार में जाति लोहार के स्थान पर कलाल बाकि बदस्तूर दर्ज किया जाकर स्व0 श्री मनजी व उनके वारिस पुत्र शंकरलाल व बन्सीलाल के फोत हो जाने से नियमानुसार मृत्यु प्रमाण–पत्र/वंशावली प्राप्त कर नामान्तरकरण करने एवं बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 14.5.2022 को जारी की गई।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी गढ़ी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

मुद्दई	रूपया पैसा	मुद्दायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहअ सबूत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	[illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	... हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	[illegible]	[illegible]
मुतफर्रीक	शून्य		
कुल			शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner